मुकदमों का विवरण

मनीष सिसोदिया बनाम।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (आपराधिक अपील संख्या)।3352 2023 का) 30 अक्टूबर, 2023

[संजीव खन्ना और एस**.** वी**.** एन**.** भाटी**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःअपीलार्थी के नेतृत्व में दो अपीलें हैं-दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और दंड संहिता, 1860 के तहत सी. बी. आई. द्वारा दर्ज एक मामले से उत्पन्न अभियोजन में जमानत की मांग की; और प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में प्रवर्तन मामला, धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत।

धन शोधन निवारण अधिनियम**, 2002 -**एस**. 45-**इसके तहत जमानत देने की आवश्यकताः

आयोजित किया गयाःएस का उल्लेख करते हुए।45 पी. एम. एल. अधिनियम के विजय मदनलाल चौधरी मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जमानत देने के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, अदालत को एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आवेदक ने पी. एम. एल. अधिनियम के तहत अपराध नहीं किया है-धारा 45 को यथोचित रूप से समझा जाना चाहिए क्योंकि विधायिका के इरादे को अदालत से इस मुद्दे की गहन जांच करने और विस्तार से यह घोषित करने की आवश्यकता के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि क्या कोई आरोपी दोषी है या बरी होने का हकदार है-इसके अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर एक आदेश मुकदमे की समाप्ति से बहुत पहले और कभी-कभी मुकदमा शुरू होने से पहले भी पारित किया जाता है-अंत में, यह तुच्छ है, कि जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, हालांकि विस्तृत कारणों को सौंपा जाना आवश्यक नहीं है, और इसलिए,

480

मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 482

मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर किसी भी तरह से पूर्वाग्रह के बिना मामला।[पैरा 8]

धन शोधन निवारण अधिनियम**, 2002 -**एस**. 3-**के रूपरेखः

आयोजित किया गयाःएस के मुख्य भाग के विच्छेदन पर।3, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह तीन 'पी' को अभिनिर्धारित करता है, अर्थात्, व्यक्ति, प्रक्रिया या गतिविधि, और उत्पाद-प्रक्रिया या गतिविधि में छह भाग होते हैं-छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण, उपयोग, पेश करना या अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना-उत्पाद, यानी अपराध की आय को पीएमएल अधिनियम की धारा 2 (यू) में किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित संपत्ति या ऐसी संपत्ति के मूल्य से

संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति के रूप में अवहेलना की गई है-जहां तक 'व्यक्ति' का संबंध है, इसका अर्थ है वे लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करते हैं; वे लोग जो जानबूझकर सहायता करते हैं, या जो जानबूझकर एक पक्ष हैं।3 पी. एम. एल. अधिनियम में वे दोनों व्यक्ति शामिल हैं जो प्रिडिकेट या शेड्यूल ऑफ एन्स और थर्ड पार्टी लॉन्डरर करते हैं।[पैरा 16]

धन शोधन निवारण अधिनियम**, 2002-**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**, 1988-**अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जमानतः

आयोजित किया गयाःपी. एम. एल. अधिनियम के तहत की गई शिकायत में एक स्पष्ट आधार या आरोप है, जो बोधगम्य कानूनी चुनौती से मुक्त है और जिन तथ्यों पर आरोप लगाया गया है, वे सामग्री और साक्ष्य द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित हैं-जिन तथ्यों पर आरोप लगाया गया है, जो कहा गया है, वे यू/एस को स्थापित करते हैं।3 पीएमएल अधिनियम और पीओसी अधिनियम, ये हैंः(1) लगभग दस महीने की अवधि में, जिसके दौरान नई उत्पाद शुल्क नीति लागू थी, थोक वितरकों ने रु। (2) 14 थोक वितरकों से एकत्र किया गया एकमुश्त लाइसेंस शुल्क लगभग (आईडी1), (आईडी3) (केवल सत्तर करोड़ रुपये) था; (3) पुरानी नीति के तहत थोक वितरकों/लाइसेंसधारियों को 5 प्रतिशत कमीशन देय था; (4) पुरानी नीति के तहत थोक वितरकों/लाइसेंसधारियों को 5 प्रतिशत कमीशन देय था।

सरकारी खजाने और उपभोक्ताओं/खरीदारों की कीमत पर लाभ-सी. बी. आई. के नेतृत्व में आरोप पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि थोक वितरकों से रिश्वत और रिश्वत प्राप्त करने के लिए मौजूदा नीति में बदलाव किया गया था-नीति शराब समूह की इच्छा और संतुष्टि के लिए बनाई गई थी-पहले कम से कम 5 प्रतिशत पर लगाया गया कमीशन/शुल्क थोक वितरक को देय 12 प्रतिशत पर बढ़ाया गया था-अपीलकर्ता को पता था कि शराब बाजार में तीन शराब निर्माताओं की 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है-नीति ने गुटबंदी का समर्थन किया और बढ़ावा दिया-थोक वितरकों द्वारा अर्जित 7 प्रतिशत कमीशन/शुल्क की अतिरिक्त राशि <ID1,00,00,000-(केवल तीन सौ अड़तीस करोड़ रुपये)7 एक लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित पी. ओ. सी. अधिनियम।(डी. ओ. ई. के अनुसार, ये अपराध की आय हैं)-यह राशि थोक वितरकों द्वारा दस महीने की अवधि में अर्जित की गई थी-इस शुल्क को विवादित या चुनौती नहीं दी जा सकती है-इसलिए, अदालत इस स्तर पर जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।[पैरा 21,24 और 25]

भारत का संविधान**-Art.21-**अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत या जेल बिना मुकदमे के सजा नहीं बननी चाहिएः

आयोजित किया गयाःयदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा हो जाता है, और यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला निकट समय के भीतर नहीं किया जाएगा, तो जमानत के लिए

अनुरोध सराहनीय हो सकता है-हालांकि अभियोजन पक्ष एक आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है, फिर भी इन मामलों की तुलना उन लोगों के साथ करना उचित नहीं हो सकता है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास, दस साल या उससे अधिक के समान मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण आदि के मामलों के तहत दंडनीय हैं-न ही यह ऐसा मामला है जहां जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की गई है-आरोपों को स्थापित और साबित करना होगा-देरी के मामलों में जमानत का अधिकार।439 कोड और एस। 45 पी. एम. एल. अधिनियम का-कारण यह है कि संवैधानिक अधिदेश उच्च कानून है, और यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है और दोषी नहीं ठहराया गया है, कि उसे सुनिश्चित किया जाए और त्वरित सुनवाई दी जाए-जब मुकदमा उन कारणों से आगे नहीं बढ़ रहा है जो आरोपी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो अदालत, जब तक कि अच्छे कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित हो सकती है-यह अधिक सही होगा जहां मुकदमे में वर्षों लगेंगे।[पैरा 28] 483

मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 484

परीक्षण-त्वरित परीक्षण-बार द्वारा दिया गया आश्वासनः

आयोजित किया गयाःअभियोजन पक्ष की ओर से बार में दिए गए इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि वे अगले छह से आठ महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर मुकदमे को समाप्त कर देंगे-अपीलार्थी को परिस्थितियों में बदलाव के मामले में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है, या यदि मुकदमा लंबा है और अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है।[पैरा 29]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन 929; वाई. बालाजी बनाम कार्तिक देसरी और अन्य (2023)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 645-पर निर्भर था।

रविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य [1975] 3 एससीआर 453:(1975) 3 एससीसी

742; मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य (2015) 6 एससीसी 222:[2015] 5 एससीआर 435;

इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनामकेरल आयुर्वेदिक सहकारी समिति लिमिटेड और अन्य। 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 5; यशवंत सिन्हा और अन्य। वी.केंद्रीय जांच ब्यूरो [2019] 5 एस. सी. आर. 638:(2019) 6 एससीसी 1; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण [1975] 3 एससीआर 333:(1975) 4 एस. सी. सी. 428; डॉयपैक सिस्टम्स (पी) लिमिटेड बनाम.भारत संघ [1988] 2 एस. सी. आर. 962:(1988) 2 एस. सी. सी. 299; पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2020) 13 एस. सी. सी.

791:[2019] 14 एस. सी. आर. 450; पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2020) 13 एस. सी. सी. 337; श्री गुरबख्श सिंह सिबिया और अन्य

बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 565:[1980] 3 एस. सी. आर. 383; संजय चंद्र बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2012) 1 एस. सी. सी. 40:[2011] 13 एससीआर 309;

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य (2022) 10 एस. सी. सी. 51; सुरिंदर सिंह उर्फ शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य

(2005) 7 एससीसी 387:[2005] 2 पूरक।एस. सी. आर. 1172; कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य [1978] 1 एस. सी. आर. 385:(1977) 4 एस. सी. सी. 291; पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य। (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1244; अर्नब मनोरंजन गोस्वामी

v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2020] 11 एससीआर 896:(2021) 2 एससीसी

427 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3352।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

2023 के बीए No.1097 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.05.2023 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की आपराधिक अपील No.3353।

रूप:

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक जैन, मोहम्मद।इरशाद, रजत जैन, करण शर्मा, ऋषिकेश कुमार, ऋषभ शर्मा, अमित भंडारी, अभिनव जैन, सुश्री हनी कुंभट, मोहित सिवाच, सिद्धांत सहाय, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मरोरिया, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, सुश्री सैरिका राजू, अर्काज कुमार, दिग्विजय दाम, सुश्री स्वेक्षा, अंकित भाटिया, विवेक जी., सुश्री मनीषा दुबे, विनायक शर्मा, क्षितिज अग्रवाल, सुश्री श्वेता देसाई, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

संजीव खन्ना, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. कानून के शासन का अर्थ है कि कानून राज्य सहित सभी नागरिकों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं।कानून के शासन के लिए हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय तक पहुँच के समान अधिकार की आवश्यकता होती है।यह नियम सभी के लिए वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष व्यवहार को भी अनिवार्य करता है।तीसरा, कानून का शासन शक्तियों के मनमाने उपयोग पर रोक है।यह सार्वजनिक भलाई के लिए शक्ति के वैध प्रयोग को सुरक्षित करता है।

3. ठीक यही कारण है कि हमने अपीलार्थी के नेतृत्व में इन दो अपीलों में कुछ हद तक दलीलें सुनी थीं-दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो आर. सी. संख्या 3032022 ए 00553, दिनांक 17.08.2022 से उत्पन्न अभियोजनों में जमानत चाहते हैं, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो 1, सी. बी. आई., ए. सी. बी., नई दिल्ली द्वारा सी. बी. आई., ए. सी. बी., नई दिल्ली में सी. बी. आई., ए. सी. बी., नई दिल्ली में सी. बी. आई., ए. सी. बी., नई दिल्ली द्वारा सी. बी. आई., ए. सी. बी., नई दिल्ली में सी. बी. आई., ए. सी. बी., नई दिल्ली द्वारा सी. बी. आई., ए. सी. बी., नई दिल्ली में सी. बी. आई., ए.

1 संक्षेप में, "सीबीआई"।

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 2 और भारतीय दंड संहिता, 1860 3 और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट 4 सं। एच. आई. यू.-II/14/2022, दिनांक 22.08.2022, प्रवर्तन निदेशालय 5 के नेतृत्व में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 6 के तहत।

4. सी. बी. आई. ने आई. डी. 1 और आई. डी. 2 दिनांकित दो आरोप पत्रों का नेतृत्व किया है, जिसमें अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया का नाम है और वह पी. ओ. सी. ए. टी. की धारा 7,7 ए, 8 और 12 और आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 201 और 420 के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है। डी. ओ. ई. ने अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया के खिलाफ पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।

5. कई कानूनी मुद्दे और सवाल उठाए गए थे, और विचार के लिए उठते हैं, लेकिन हम उनमें गहराई और विस्तार से जाने से बचेंगे।हालाँकि, निर्णय के बाद के भाग में केवल वर्तमान अपीलों और इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए एक सीमित चर्चा है कि क्या अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया जमानत के हकदार हैं।फिर भी, अभिलेख के उद्देश्य से, हम उनमें से कुछ का वर्णन करेंगे:

(क) मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 163 के तहत संवैधानिक संरक्षण का दायरा और दायरा क्या है?

(ख) क्या पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या पर, 'सृजन का कार्य/प्रक्रिया' या 'अपराध की आय उत्पन्न करने का प्रयास' पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 के तहत 'सहायता', 'अधिग्रहण', 'कब्जा' या 'उपयोग' अभिव्यक्तियों के दायरे में आता है?यदि उत्तर समीचीन है, तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 7, आई. पी. सी. और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के तहत भारत के संविधान के अनुसार कानूनी परिणाम क्या हैं?

2 संक्षेप में, "पीओसी अधिनियम"।3 संक्षेप में, "आई. पी. सी".।4 संक्षेप में, "ईसीआईआर"।5 संक्षेप में, "डीओई"।

6 संक्षेप में, "पीएमएल अधिनियम"।7 संक्षेप में, "द कोड"।

(ग) क्या किसी व्यक्ति पर पीएमएल अधिनियम के तहत केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब यह दिखाने के लिए सामग्री हो कि वह धन शोधन की किसी भी गतिविधि/प्रक्रिया में शामिल है या सहायता करता है, भले ही कोई गतिविधि/प्रक्रिया निर्धारित समय से अलग और अलग हो?

(घ) क्या एक अभियुक्त, जिसने कथित रूप से निर्धारित अपराध को अंजाम दिया है, पर पीएमएल अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जब कथित प्रमुख अभियुक्त और अपराध की आय का लाभार्थी, एक न्यायिक व्यक्ति, को डीओई के नेतृत्व में आपराधिक शिकायत में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है?

(ङ) क्या पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 45 और 50 को संवैधानिक योजना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए?

6. अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया आर. सी. सं. 3032022 ए 00553 में 26.02.2023 से और ईसीआईआर सं. में 09.03.2023 से हिरासत में है। HIU-II/14/2022।

सी. बी. आई. ने आई. डी. 2 पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया था और डी. ओ. ई. ने अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया के खिलाफ आई. डी. 1 पर आपराधिक शिकायत का नेतृत्व किया था।

सी. बी. आई. के नेतृत्व में दायर आरोप पत्र में 294 गवाह और लगभग 31,000 पृष्ठों के दस्तावेज हैं। डी. ओ. ई. के नेतृत्व में अभियोजन की शिकायतों में 162 गवाह और 25,000 पृष्ठों के दस्तावेज हैं।

आरोप पर तर्क शुरू नहीं हुए हैं, और मुकदमे में कई साल लगेंगे।

मंत्री परिषद/मंत्रिमंडल द्वारा व्यापक और व्यापक जनहित में उचित विचार-विमर्श के बाद नई उत्पाद शुल्क नीति को वैध रूप से अपनाया गया थाः

पुरानी आबकारी नीति के तहत शराब की प्रकृति के कारण धोखा देने के लिए प्रोत्साहन था-तेजी से बिक्री और अत्यधिक 487

मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [संजीव खन्ना, जे.] 488

कर लगाया।रवि धवन समिति 8 रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 के अनुसार, लाभ मार्जिन 65-70% तक हो सकता है, क्योंकि निर्माता प्रॉक्सी स्वामित्व के माध्यम से खुदरा लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम थे।

o एक चेक के रूप में, थोक लाइसेंस किसी निर्माता या खुदरा लाइसेंस धारक को, सीधे या सहयोगी संस्थाओं या संबंधित संस्थाओं को जारी नहीं किए जाने थे।

68 विधानसभा क्षेत्रों के 272 वार्डों को 30 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 27 खुदरा विक्रेताओं के साथ 9-10 वार्ड होने थे जिन्हें नीलामी के आधार पर आवंटित किया जाना था।प्रत्येक जोन संचालक को प्रत्येक वार्ड में दो अनिवार्य विक्रेताओं का संचालन करना था।शेष वेंड्स उस क्षेत्र के भीतर कहीं भी संचालित किए जाने वाले फ्रीहोल्ड वेंड्स थे।o मौजूदा लाइसेंस शुल्क और संभावित राजस्व की राशि के बराबर आरक्षित मूल्य के साथ नीलामी, अनुमानित वैट और साल दर साल वृद्धि के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क ने राजस्व का अधिकतमकरण सुनिश्चित किया।

o थोक विक्रेता द्वारा देय लाइसेंस शुल्क पुरानी पॉलिसी के तहत रु. 5,00,000-(केवल लाखों रुपये) से बढ़ाकर रु. 5,00,00,000/- (केवल करोड़ रुपये) कर दिया गया था, जो लगभग 10,000% की वृद्धि है।

o थोक विक्रेता भूमि मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से एक मानक वितरण शुल्क के हकदार थे।भारत के किसी भी बाजार में निर्माता द्वारा घोषित लैंड प्राइस या एक्स-डिस्टिलरी प्राइस सबसे कम कीमत थी।

o 12 प्रतिशत की दर से मानक वितरण शुल्क, हालांकि पुरानी नीति के तहत शुल्क से अधिक था, आवश्यक उच्च स्तर के निवेश, गुणवत्ता जांच प्रणाली की स्थापना आदि को कवर करने के लिए आवश्यक था। 12 प्रतिशत के शुल्क ने पुरानी पॉलिसी के तहत देय कई अन्य शुल्कों को भी शामिल कर लिया था।

8 संक्षेप में, "आर. डी. समिति"।

आबकारी, योजना, वित्त और विधि विभागों के सचिवों/अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श के बाद नई नीति का मसौदा पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया था।राजस्व सृजन का अनुमान 12 प्रतिशत था।

आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।लगभग 14,671 ई-मेल प्राप्त हुए।टिप्पणियों पर विचार किया गया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 ई-मेल लगाए गए थे/भेजे गए थे।0.04% ई-मेल पर निर्भर एक आपराधिक अपराध स्थापित करने का यह दावा अनुमानित और अतिवादी है।

नीति को टिप्पणी और सिफारिश के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 10 के उपराज्यपाल 9 को भेजा गया था।एल. जी. ने कुछ पहलुओं पर अपनी सिफारिश दी।मंत्रिमंडल ने सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार कर लिया।

मंत्री समूह द्वारा तैयार की गई नई आबकारी नीति रिपोर्ट को आबकारी विभाग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया।इसे वेबसाइट पर 05.07.2021 पर अपलोड किया गया था।यह केवल 17.11.2021 पर लागू किया गया था।

अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुख्य घटक है, जिसे अभिव्यक्ति को सख्ती से समझने की आवश्यकता है।

जैसा कि विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ

भारत और अन्य 11.पी. एम. एल. अधिनियम के तहत अपराध का आपराधिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है, जो अनुसूचित अपराध का विषय है।पी. एम. एल. अधिनियम उस अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त अपराध की आय से संबंधित गतिविधि/प्रक्रिया में लिप्त होने को दंडित करता है।

Rs.100,00,00,000 (केवल एक सौ करोड़ रुपये) की रिश्वत और इसके एक हिस्से का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी 12 के गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किए जाने का आरोप है।

9 संक्षेप में, "एलजी"।10 संक्षेप में "एन. सी. टी".।

11 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन 929 12 संक्षेप में, "एएपी"।

एक मनगढ़ंत कहानी जो किसी भी कानूनी और स्वीकार्य साक्ष्य और सामग्री द्वारा असमर्थित है।धन का मुकदमा अप्रमाणित और झूठा है। सह-अभियुक्त राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को पीएमएल अधिनियम के तहत इस आधार पर जमानत दी गई है कि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था कि अपराध की आय का उपयोग चुनाव उद्देश्यों के लिए किया गया था।

डी. ओ. ई. ने मनी ट्रेल और Rs.100,00,00,000 (केवल एक सौ करोड़ रुपये) की रिश्वत/रिश्वत के भुगतान को स्थापित करने के लिए सह-अभियुक्तों या अनुमोदनकर्ताओं द्वारा दिए

गए बयानों पर भरोसा किया है।ये बयान सुनी-सुनाई हैं और किसी भी तरह से अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया को अपराध की आय के हस्तांतरण और उपयोग से नहीं जोड़ते हैं।

सह-अभियुक्त या डी. ओ. ई. द्वारा भरोसा किए गए अन्य गवाहों के बयान निकाले गए और गिरफ्तारी की धमकी से मजबूर किए गए, जैसा कि मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, बुची बाबू और मनोज राय के मामले में हुआ था। अरुण पिल्लई और समीर महेंद्रू जैसे कुछ सह-अभियुक्त अपने बयानों से पीछे हट गए हैं।

आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद के बेटे राघव मागुंटा को दिनांकित 27.07.2023 बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, जो उनके पहले के दिनांकित 16.09.2022 के बयान के विपरीत है।

सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा से प्राप्त बयान कमजोर सबूत हैं और इस संबंध में रविंदर पर भरोसा किया जाता है।

सिंह बनाम हरियाणा राज्य 13.

12.07.2023 दिनांकित दिनेश अरोड़ा का बयान 09.04.2023 पर दिए गए उनके पहले के बयान के विपरीत है।

अपीलार्थी के संबंध में आरोप-इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता मनगढ़ंत और गलत दावा है।संहिता की धारा 164 के तहत आबकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त वक्तव्य, अर्थात् -

13 (1975) 3 एससीसी 742।

सुमन, सचिन सोलंकी और अरवा गोपी कृष्ण अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया को फंसाते नहीं हैं।

अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया ने अपने दिनांकित 14.03.2023 के बयान में कहा है कि उन्होंने आबकारी आयुक्त को इंडो स्पिरिट के लाइसेंस की मंजूरी में तेजी लाने का निर्देश नहीं दिया था।

निजी पक्षों के बीच बातचीत और संचार अर्थात इंडो स्पिरिट का व्यवसाय स्वतंत्र था, और अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया के किसी भी हस्तक्षेप, ज्ञान और भागीदारी के बिना।

विजय नायर अपीलार्थी मनीष सिसोदिया से जुड़े नहीं थे।सी. अरविंद द्वारा पी. एम. एल. ए. की धारा 50, दिनांक 07.12.2022 और Cr.P.C, दिनांक 16.02.2023 की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों में भी विरोधाभास हैं। मंत्रिमंडल को नष्ट करने का आरोप और कुछ नहीं बल्कि तिल से पहाड़ बनाना है।पुरानी नीति के गुण या दोषों पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों द्वारा दो और

विधि कार्यालय द्वारा एक, तीन कानूनी राय सौम्य थीं, और कोई परिणाम और प्रासंगिकता नहीं थी। यह आरोप डी. ओ. ई. द्वारा बनाए गए समकालीन अभिलेखों के विपरीत भी है।

7. सी. बी. आई. और डी. ओ. ई. ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः पुरानी आबकारी नीति के तहतः

निजी थोक विक्रेता की कोई अवधारणा नहीं थी और क्षेत्रों की कोई अवधारणा नहीं थी।14

वितरक/थोक विक्रेता 5 प्रतिशत लाभ मार्जिन का हकदार था।खुदरा व्यापार मुख्य रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के चार निगमों द्वारा किया जाता था।

आर. डी. समिति की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 15 ने सिफारिश कीःo सरकारी उपस्थिति को धीरे-धीरे वापस लेना।

14 अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया के अनुसार, पुरानी शराब नीति के तहत निजी थोक विक्रेता थे, जो दावा प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है।

15 रवि धवन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन 04.09.2020 पर किया गया था।

o एक सरकारी संस्था के तहत थोक संचालन।

तीन मॉडलों की जांच की गईः(i) मौजूदा मॉडल, (ii) लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस, और (iii) सीमित संस्थाओं को लाइसेंस।

लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस की सिफारिश की गई थी क्योंकि सीमित संस्थाओं को लाइसेंस की नीलामी से गुटबंदी हो सकती है।

आर. डी. समिति की दिनांकित 13.10.2020 रिपोर्ट को अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।संहिता की धारा 164 के तहत सी. अरविंद 16 दिनांकित 16.02.2023 और संहिता की धारा 161 के तहत राहुल सिंह दिनांकित 03.03.2023 के बयान पर भरोसा रखा गया है।अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया ने गलत कारणों से रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था।

रिश्वत और रिश्वत के बदले में थोक वितरकों के लिए सुपरसाइज़ प्रोफिट्स को सक्षम करने के लिए नई आबकारी नीति नामक एक साजिश रची गई थी।शुरू करने के लिएः

o आर. डी. समिति की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।ईमेल के माध्यम से कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों को अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया था।ईमेल 18, कोड की धारा 161 के तहत दर्ज ज़ाकिर खान का 19 तारीख का 29.03.2023 बयान और कार्तिकेय आज़ाद और ज़ाकिर खान के वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट उद्देश्य को स्थापित करते हैं।इस प्रकार, नीति निर्माण में पारदर्शिता और खुलेपन का एक रूप बनाया गया।

o राहुल सिंह 20 आरोप का समर्थन करते हैं।उन्हें हितधारकों और जनता की टिप्पणियों और सुझावों के साथ एक विशेष तरीके से एक कैबिनेट नोट तैयार करने के लिए कहा गया था।
अपीलार्थी -

16 अपीलार्थी के सचिव के रूप में नियुक्त-मनीष सिसोदिया जुलाई, 2019 से जून, 2022 के बीच। 17 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्व आबकारी आयुक्त।

18 दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रशिक्षुओं द्वारा आर. डी. समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक टिप्पणियों के रूप में साझा किए गए ईमेल।

19 दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष।20 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्व आबकारी आयुक्त।

मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट में कानूनी विशेषज्ञों की राय जोड़ने के लिए राहुल सिंह को फटकार लगाई।21 सी. संहिता की धारा 164 के तहत अरविंद का दिनांकित 16.02.2023 बयान समान है।

अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया ने 22 वर्षीय संजय गोयल को कानूनी विशेषज्ञों की राय के बिना एक नोट तैयार करने का निर्देश जारी किया था।संहिता की धारा 161 के तहत संजय गोयल के दिनांकित 17.01.2023 के बयान और अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया द्वारा आबकारी आयुक्त को दिनांकित 02.02.2023 के पत्र पर भरोसा रखा गया है।

नई आबकारी नीति पर जीओएम रिपोर्ट का मसौदा, जैसा कि अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया के नियंत्रण में कंप्यूटर से प्राप्त किया गया था, 15.03.2021 पर टाइप/अपलोड किया गया था और इसे आखिरी बार सुबह 11.27 पर संशोधित किया गया था। थोक विक्रेता भूमि मूल्य पर न्यूनतम 5 प्रतिशत कमीशन के हकदार थे।चूंकि कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए निर्माता और थोक वितरक बातचीत कर सकते थे और उच्च कमीशन के लिए समझौता कर सकते थे।

उच्च बाजार हिस्सेदारी और कारोबार वाले बड़े निर्माता, 5 प्रतिशत से अधिक कमीशन या भूमि लागत के 12 प्रतिशत पर कमीशन के लिए सहमत नहीं होते।

हैदराबाद का एक शराब समूह दिल्ली में 16.03.2021 से 18.03.2021 तक रहा।शराब समूह के अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और शरत रेड्डी ने विजय नायर के साथ कई बैठकें कीं, जो बिचौलिया थे, आप के सदस्य थे और अपीलार्थी के करीबी विश्वासपात्र मनीष सिसोदिया थे।वह एक कैबिनेट मंत्री को आवंटित सरकारी बंगले में रह रहा था, जो जीओएम का हिस्सा था। 23 बैठकों का एजेंडा उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव पर निर्णय लेना था, ताकि वे रिश्वत के बदले में बेहतर कमाई कर सकें।

21 संहिता की धारा 161 के तहत राहुल सिंह का वक्तव्य दिनांक 03.03.2023।22 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आबकारी आयुक्त, जिन्होंने राहुल सिंह की जगह ली थी।

23 अरुण पिल्लई, बुची बाबू और दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा किया जाता है।पेरनोड रिकार्ड के एक कर्मचारी मनोज राय के फोन में पाए गए स्क्रीनशॉट पर भी रिलायंस को रखा गया है।

o 16.03.2021 की शाम को, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू, जो होटल ओबेरॉय में रह रहे थे, सिविल लाइन्स के एक अन्य ओबेरॉय होटल में गए, जहाँ उनकी मुलाकात विजय नायर से हुई, जो पास में ही रह रहा था।सिविल लाइन्स में ओबेरॉय होटल की यात्रा एक चालान 24, कॉल रिकॉर्ड विवरण और ओबेरॉय के एक कर्मचारी के बयान द्वारा स्थापित की जाती है।25

o होटल ओबेरॉय, सिविल लाइन्स, दिल्ली में 36 पृष्ठ के दस्तावेज़ की एक प्रिंट/फोटोकॉपी 16.03.2021 पर बनाई गई थी।26

दस्तावेज़/प्रिंट विजय नायर द्वारा लिया गया था, और अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया था।अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया ने अपने सचिव सी. अरविंद को 'प्रिंट' दिया।o परिवर्तित जीओएम रिपोर्ट दिनांक 18.03.2023 में 36 पृष्ठ होते हैं, यदि कोई सूचकांक और शीर्षक पृष्ठ को शामिल नहीं करता है।संहिता की धारा 164 के तहत सी. अरविंद के दिनांकित 16.02.2023 के बयान का संदर्भ दिया गया है।

o बुची बाबू की दिनांकित 20.03.2021 की वाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट, जो 22.3.2022 पर मंत्रिमंडल को जीओएम रिपोर्ट जमा करने से पहले है, थोक संचालन निदेशक के नए पद के निर्माण को संदर्भित करता है।शराब समूह द्वारा तैयार किए गए प्रिंट/दस्तावेज़ के आधार पर, इस पद को बनाने के लिए मंत्रिमंडल को जीओएम रिपोर्ट को संशोधित किया गया था।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की गई परिवर्तित जीओएम रिपोर्ट में दिनांक 1 के मसौदे के तहत 5 प्रतिशत के न्यूनतम थोक विक्रेता शुल्क को अनिवार्य और 12 प्रतिशत के शुल्क में संशोधित किया गया था। जीओएम 15.03.2021 और 19.03.2021 के बीच नहीं मिला।थोक कमीशन/शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के लिए मंत्री समूह द्वारा न तो कोई विचार-विमर्श/चर्चा की गई है और न ही कोई टिप्पणी/गणना की गई है।संहिता की धारा 164 के तहत अरवा गोपी कृष्ण के बयान पर भरोसा किया गया है।

24 16.03.2021 पर, रु। 3, 000/- का बिल "लॉजिस्टिक शुल्क" के विवरण के तहत दिया गया था।25 संहिता की धारा 161 के तहत इब्राहिम मगदुम का वक्तव्य दिनांक 03.02.2023।26 16.03.2021 पर, रु। 360/- का बिल "प्रिंट/फोटोकॉपी" के विवरण के तहत दिया गया था।

पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 50 (2) और 50 (3) के तहत संजय गोयल के बयान पर भी भरोसा जताया गया है। अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया कमीशन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12

प्रतिशत करने के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थे।27 उन्होंने कहा था कि पुरानी सरकार में भी 5 प्रतिशत मार्जिन की कोई गणना नहीं की गई थी।

अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया ने अपने निवेश का उपयोग इंडो स्पिरिट को थोक लाइसेंस देने के लिए किया था, जिसमें शराब समूह की काफी रुचि थी।आरवा गोपी कृष्ण और सी. अरविंद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों पर भरोसा रखा गया है। संहिता की धारा306 के तहत दर्ज किए गए 24.11.2022 दिनांकित दिनेश अरोड़ा के बयान पर भी भरोसा रखा गया है।

इंडो स्पिरिट के भागीदारों, समीर महेंद्रू और उनकी पत्नी के खिलाफ गुटबंदी की मौजूदा शिकायतों के बावजूद इंडो स्पिरिट को लाइसेंस दिया गया था।शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कहा गया था।28

थोक वितरक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क रु. 5,00,00,000/- (केवल पांच करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया था।शराब समूह की सुविधा के लिए और उसके कहने पर लाइसेंस शुल्क जानबूझकर कारोबार पर नहीं लगाया गया था।

तीन बड़े निर्माताओं की 85 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी।यह पूरी योजना बड़े थोक वितरकों से रिश्वत और रिश्वत लेने का नाटक थी, जो बिचौलियों के रूप में काम करते थे और कारोबार पर भूमि मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से कमीशन पाने के हकदार थे, लेकिन उन्हें सरकार को रु. 5,00,00,000/- (केवल पांच करोड़ रुपये) के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

निर्माता केवल एक थोक वितरक को नियुक्त कर सकते हैं और उसके साथ वितरण समझौता कर सकते हैं।वे नहीं थे।

27 पीएमएल अधिनियम की धारा 50 (2) और 50 (3) के तहत मनीष सिसोदिया का वक्तव्य दिनांक 07.03.2023।

28 संहिता की धारा 161 के तहत जगबीर सिद्धू का वक्तव्य दिनांक 19.09.2022।

कई थोक वितरकों को नियुक्त करने का अधिकार।हालांकि, थोक विक्रेता एक से अधिक निर्माताओं के साथ अनुबंध कर सकता है।नई उत्पाद शुल्क नीति स्पष्ट रूप से एकतरफा थी और बड़े थोक वितरकों के पक्ष में थी।

लगभग 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी वाले 14 छोटे निर्माताओं के एक दावेदार और थोक वितरक महादेव लिकर को अपना लाइसेंस आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं थे।पंजाब में महादेव शराब का कारोबार था और पंजाब के आबकारी विभाग की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल उन्हें हथियाने के लिए किया जाता था।29

सबसे बड़े निर्माता पेरनोड रिकार्ड को इंडो स्पिरिट के माध्यम से व्यवसाय करने का निर्देश दिया गया था।मोबाइल चैट से एकत्र किए गए सबूतों पर भरोसा किया जाता है, जिसमें स्क्रीनशॉट के साथ-साथ एक कर्मचारी के बयान भी शामिल हैं।

यह याचिका कि अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया के पास अपराध की आय नहीं थी, को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 'कब्ज़ा' अभिव्यक्ति में रचनात्मक कब्ज़ा शामिल है।एक व्यक्ति को वास्तविक कब्जे में होने की आवश्यकता नहीं है।जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी चीज़ पर प्रभुत्व या नियंत्रण का प्रयोग करता है, तो वह उक्त चीज़ पर 'अधिकार' में होता है।अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया अपराध की आय से निपटने और अपराध की आय का उपयोग करने की प्रक्रियाओं और गतिविधियों की कुंजी थे।उन्होंने दागी धन को उत्पन्न करने, छिपाने और पेश करने के लिए एक इको-सिस्टम बनाया था, जिसका उपयोग बाद में आप द्वारा किया गया था।

रिश्वत या Rs.100,00,00,000 (केवल एक सौ करोड़ रुपये) के अपराध की आय शराब समूह से प्राप्त हुई थी, और इसका उपयोग अपीलार्थी के सहयोगियों-मनीष सिसोदिया और आप के अन्य नेताओं द्वारा किया गया था।

29 पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 50 (2) और 50 (3) के तहत जसदीप कौर चड्ढा का वक्तव्य दिनांक 23.08.2022।

30 पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 50 (2) और 50 (3) के तहत मनोज राय का वक्तव्य दिनांक 31.12.2022।

अपराध की इन आय के कुछ हिस्सों का उपयोग गोवा चुनाव अभियान में कई व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से किया गया था।प्रयास अपराध की आय की वास्तविक प्रकृति को छिपाने और उन्हें बेदाग धन के रूप में पेश करने का था।

o Rs.100,00,00,000 (केवल एक सौ करोड़ रुपये) के अपराध की आय का एक हिस्सा हवाला मार्ग के माध्यम से लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जिसका पता डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों के मिटने के बावजूद लगाया गया है।

अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया 01.01.2021 से 19.08.2022 की अवधि के बीच उपयोग किए गए तीन मोबाइल फोन में से अपने दो मोबाइल फोन दिखाने में असमर्थ थे।सीबीआई ने 19.08.2022 पर केवल एक फोन जब्त किया था, जिसका उपयोग केवल 22.07.2022 के बाद से किया जा रहा था।उन्होंने जानबूझकर सबूत नष्ट कर दिए हैं।

अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया, अपनी शक्ति और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए, और साजिश में मुख्य आरोपी होने के नाते, सबूतों को नष्ट कर सकता है, और गवाहों और दस्तावेजों का पर्दाफाश हो सकता है।

पीएमएल अधिनियम की धारा 50 (2) और 50 (3) के तहत डीओई दिनांक 14.08.2023 को दिए गए दिनेश अरोड़ा के बयान से पता चला था कि उन्होंने रु। अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया के लिए अमित अरोड़ा से 2,20,00,000 (केवल दो करोड़ बीस लाख रुपये)।यह नई उत्पाद शुल्क नीति में अनुकूल बदलाव और बदलाव के कारण था।

विश्लेषण

8. विजय मदनलाल में पीएमएल अधिनियम की धारा 45 31 का उल्लेख करते हुए

31 धारा 45 में कहा गया हैः

"45. संज्ञेय और गैर-जमानती होना अनिवार्य है।—(1) किसी भी बात के बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित, इस अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि-(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो; और

((ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां अदालत को संतुष्ट किया जाता है कि वहां 497

चौधरी (ऊपर), तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी है कि प्रावधान के लिए जमानत देने की आवश्यकता नहीं है, अदालत को एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आवेदक ने पीएमएल अधिनियम के तहत अपराध नहीं किया है। धारा 45 को यथोचित रूप से समझा जाना चाहिए क्योंकि विधायिका के इरादे को अदालत से इस मुद्दे की गहन जांच करने और विस्तार से यह घोषणा करने की आवश्यकता के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि क्या कोई आरोपी दोषी है या बरी होने का हकदार है।इसके अलावा, जमानत के आवेदन पर आदेश मुकदमे की समाप्ति से बहुत पहले और कभी-कभी मुकदमा शुरू होने से पहले भी पारित किया जाता है।अंत में, यह सामान्य बात है कि जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, हालांकि विस्तृत कारणों को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है, और इसलिए, साक्ष्य को सावधानीपूर्वक तौलना आवश्यक नहीं है, एक अस्थायी निर्णय व्यापक संभावनाओं के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए।जमानत देने के आदेश को कम से कम गंभीर मामलों में जहां आवेदक को जमानत दी गई है या जमानत देने से इनकार किया गया है, विवेकपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए।जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय अस्थायी होने के कारण, मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, और

यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं हैः

बशर्ते कि एक व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या एक महिला है या बीमार है या संक्रमित है या जिस पर या तो अपने दम पर या एक करोड़ रुपये से कम की राशि के धन शोधन के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आरोप लगाया गया है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता हैः

बशर्ते कि विशेष न्यायालय धारा 4 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि -

((i) निदेशक; या

((ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो उस सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।

(1-क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जाएं।(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अलावा है।

स्पष्टीकरण।—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'संज्ञेय और गैर-जमानती होने का कारण बनता है' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और हमेशा यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत सभी मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी विपरीत निहित होने के बावजूद संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, और तदनुसार इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

विचारण न्यायालय सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ेगा और किसी भी तरह से पूर्वाग्रह के बिना मामले का फैसला करेगा।9. हमने दोनों पक्षों के दावों, तर्कों और तर्कों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख किया है, और विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) में जनादेश के संदर्भ में, हम अपनी अस्थायी राय बनाने के लिए आरोपों और कानूनी स्थिति की जांच करेंगे।हालाँकि, हमें कुछ पहलुओं पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए और रिकॉर्ड पर लेना चाहिए।

10. सबसे पहले, यह दावा कि रु। 2,20,00,000 (केवल दो करोड़ बीस लाख रुपये) का भुगतान अपीलार्थी को रिश्वत के रूप में किया गया था-अमित अरोड़ा द्वारा बिचौलिये दिनेश अरोड़ा के माध्यम से मनीष सिसोदिया, कोई आरोप या आरोप नहीं है जो सीबीआई के नेतृत्व में आरोप पत्र में लगाया गया है। पी. एम. एल. अधिनियम के तहत कथित भुगतान को 'अपराध की कार्यवाही' के रूप में मानना मुश्किल हो सकता है।

11. दूसरा, शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आप एक न्यास है और पीएमएल अधिनियम की धारा 2 (1) (ओं) के तहत एक "व्यक्ति" है। एक न्यायिक व्यक्ति होने के नाते, यह प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करता है।दावा किया गया है कि अपराध की आय का एक हिस्सा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के उद्देश्य से गोवा में चुनाव के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया गया था। डी. ओ. ई. ने बार में और लिखित प्रस्तुतियों में कहा है कि एक बार गोवा में चुनाव में उपयोग की गई राशि का पता चलने के बाद, धारा 3 के तहत आप को आरोपी मानने का निर्णय लिया जाएगा।डी. ओ. ई. द्वारा कहा गया है कि इस संबंध में मामले पर कार्रवाई की जा रही है। लिखित प्रस्तुतियों में, डी. ओ. ई. कहता हैः

“.....पी. ओ. सी. (अपराध की आय) में से कुछ का उपयोग गोवा में आप के चुनाव वित्त पोषण में अपने अधिकारियों के माध्यम से कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के उद्देश्य के साथ-साथ ऊपर बताए गए अधिकारियों के लाभ के लिए किया गया है।एक बार जब गोवा में चुनाव के लिए उपयोग की गई राशि का पता चल जाता है, तो उस समय पीएमएलए (पीएमएल अधिनियम) की धारा 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत आप को आरोपी मानने का निर्णय लिया जाएगा।”

12. तीसरा, डी. ओ. ई. के नेतृत्व में दायर शिकायत में यह दावा कि Rs.100,00,00,000 (केवल एक सौ करोड़ रुपये) की रिश्वत वास्तव में शराब समूह द्वारा दी गई थी, कुछ हद तक बहस का विषय है।हालांकि, एक दावा है, और डीओई ने सबूत और सामग्री पर भरोसा किया है, कि इसका एक हिस्सा, यानी रु। 45,00,00,000 (केवल चालीस करोड़ रुपये) गोवा चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था और 499 द्वारा उपयोग किया गया था।

आप, एक राजनीतिक दल, जो एक न्यायिक व्यक्ति है।32 आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। यह आरोप कि अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया पीएमएल अधिनियम की धारा 70 के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, आरोप नहीं लगाया जा सकता है और न ही तर्क दिया गया है।33

13. चौथा, शिक्षा विभाग का यह तर्क कि अपराध की आय का सृजन स्वयं 'अपराध की आय' का 'कब्जा' या 'उपयोग' है, प्रथम दृष्टया, विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) के अनुपात को देखते हुए अस्पष्ट और संदेह से मुक्त प्रतीत होता है।इसके अलावा, डी. ओ. ई. का यह तर्क कि 'पीढ़ी' अधिकार के बराबर है और 'अधिकार' अभिव्यक्ति में रचनात्मक अधिकार शामिल है, जिसके लिए मोहन लाल बनाम पर निर्भरता रखी गई है।

राजस्थान राज्य 34, आश्वस्त नहीं है।

14. दूसरी ओर, अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) के पैराग्राफ 251,269 और 270 पर भरोसा करते हैं, यह तर्क देने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक निर्धारित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) ने माना है कि पीएमएल

अधिनियम एक स्वतंत्र और विशिष्ट अधिनियम है जो केवल अपराध की आय से संबंधित अपराधों से संबंधित है, न कि उस अपराध से जो अपराध की आय उत्पन्न करता है।विशेष रूप से, विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) में अनुच्छेद 406 में कहा गया हैः

“406…तथ्य यह है कि अपराध की आय एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, जो संयोग से एक गैर-संज्ञेय अपराध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।व्यक्ति पर 2002 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके अनुसूचित अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता है, लेकिन केवल तभी जब उसने किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित

या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति अर्जित या प्राप्त की हो और अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त हो।

32 हम डी. ओ. ई. या सी. बी. आई. द्वारा विश्वसनीय सामग्री और साक्ष्य पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

33 देखें-अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2012) 5 एस. सी. सी. 661, और शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे, (2015) 12 एस. सी. सी. 781।

34 (2015) 6 एससीसी 222।

पैराग्राफ 407 इसी तरह कहता हैः

"407…धारा 3 के संदर्भ में इस अधिनियम के तहत अपराध विशेष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने के लिए है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

15. मोहन लाल (ऊपर) में, 'अधिकार' अभिव्यक्ति, जिसे माना जाता है, में दो तत्व होते हैं।पहला, यह भौतिक नियंत्रण के कोष को संदर्भित करता है और दूसरा यह शत्रुता या इरादे को संदर्भित करता है जिसमें आत्म-नियंत्रण के अभ्यास का संदर्भ होता है।मादक पदार्थ कानूनों के संदर्भ में, एक व्यक्ति को पदार्थ पर नियंत्रण रखने वाला कहा जाता है जब वह जानता है कि पदार्थ तुरंत सुलभ है और पदार्थ पर प्रभुत्व या नियंत्रण का प्रयोग करता है।इसलिए, पदार्थ पर शक्ति और प्रभुत्व मौलिक है।रचनात्मक अधिकार के बारे में डी. ओ. ई. का रुख तभी संतुष्ट होगा जब प्रभुत्व और नियंत्रण मानदंड संतुष्ट हों।यदि अपराध की आय किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकार और नियंत्रण में है, और धारा 3 के तहत आरोपित व्यक्ति के अधिकार और नियंत्रण में नहीं है, तो आरोपी के पास अपराध की आय नहीं है।यह एक अलग मामला होगा, जब एक आरोपी, हालांकि कब्जे में नहीं है, अपराध की आय के उपयोग, छिपाने या अधिग्रहण के लिए आरोपित किया जाता है, या अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है या दावा करता है।अभियुक्त की संलिप्तता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है।प्रथम दृष्टया, स्पष्टता की कमी है, जैसा कि अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रुपये के हस्तांतरण में शामिल होने पर विशेष आरोप है। गोवा चुनाव के लिए आप को दिए गए 45,00,00,000 (केवल चालीस करोड़ रुपये) गायब हैं।

16. यह न्यायालय वाई. बालाजी बनाम कार्तिक देसरी और अन्य 35 में, जबकि

पी. एम. एल. अधिनियम 36 की धारा 3 की रूपरेखा की जांच करना, जिसे प्रारूपण के लिए संदर्भित किया गया है।

35 (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 645। 36 पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 में लिखा हैःपीएमएल अधिनियम की धारा 3 में कहा गया हैः

“3. धन-शोधन से बचना।—जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण।—शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(i) एक व्यक्ति धन-शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर करता है।

संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून 2009 में निहित स्व-शोधन पर टिप्पणी, जिसमें कहा गया है कि तीसरा पक्ष धन शोधन के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही घरेलू कानून के मौलिक सिद्धांतों की आवश्यकता हो कि यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो विधेय अपराध करते हैं।कुछ देशों में, संवैधानिक सिद्धांत किसी व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिडिकेट ऑफ एनस दोनों के लिए मुकदमा चलाने पर रोक लगाते हैं।हालांकि, अधिकांश सामान्य कानून देशों में, मौलिक सिद्धांत स्व-धनशोधन करने वालों के लिए धन शोधन के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।धारा 3 के मुख्य भाग के विच्छेदन पर, यह माना जाता है कि यह तीन 'पी' को अभिनिर्धारित करता है, अर्थात्, व्यक्ति, प्रक्रिया या गतिविधि, और उत्पाद।प्रक्रिया या गतिविधि में छह भाग होते हैं-छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना, उपयोग करना, अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना।उत्पाद, अर्थात अपराध की आय, को पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 2 (यू) में किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित संपत्ति या ऐसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। 37 जहाँ तक 'व्यक्ति' का संबंध है, इसका अर्थ है वे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करते हैं; वे जो जानबूझकर सहायता करते हैं, या वे जो जानबूझकर एक पक्ष हैं, या वे जो वास्तव में शामिल हैं।उपरोक्त व्याख्या पर, इस अदालत ने कहा कि पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध में वे दोनों व्यक्ति शामिल हैं जो पूर्वनिर्धारित या अनुसूचित अपराध करते हैं और तीसरे पक्ष के धनशोधनकर्ता हैं।38

एक पक्ष या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में शामिल है, अर्थात् -

((क) छिपाना; या

((ख) स्वामित्व; या

(ग) अधिग्रहण; या

((घ) उपयोग; या

(ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या (च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना,

किसी भी तरह से;

((ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का आनंद उसे छिपाकर या कब्जा करके या अधिग्रहण करके या उसका उपयोग करके या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके ले रहा हो।37 पीएमएल अधिनियम की धारा 2 (यू) में कहा गया हैः

"'अपराध की आय का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित संपत्ति या ऐसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या रखी जाती है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई मूल्य के बराबर संपत्ति।

38 वर्तमान निर्णय के उद्देश्य के लिए, हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई टकराव है

वाई. बालाजी (ऊपर) में अनुपात और विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) में अनुपात।

17. अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत वाई. बालाजी (उपरोक्त) के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से जांच नहीं की गई है कि क्या 'पीढ़ी' को 'प्रक्रिया या गतिविधि' शीर्ष के तहत आने वाली छह गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।दूसरा 'पी' गतिविधि या प्रक्रिया के साथ तीसरे 'पी' यानी उत्पाद से संबंधित होना चाहिए, जो अपराध की आय है।हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमें उक्त पहलुओं पर स्पष्ट रूप से निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मुद्दों और दलीलों की जाँच निचली अदालत द्वारा या इस अदालत द्वारा किसी उपयुक्त मामले में की जानी चाहिए।

18. आई. पी. सी. की धारा 120/120 बी और धारा <आई. डी. 1 के संदर्भ में साजिश और उकसाने का अपराध, पी. एम. एल. अधिनियम के तहत अपराधों पर लागू नहीं होता है। साथ ही, पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 व्यापक और व्यापक है क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति के संदर्भ में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्दों का उपयोग किया गया है, और जानबूझकर सहायता करता है, या जानबूझकर अपराध की आय को गुप्त संपत्ति के रूप में छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने, उपयोग करने, पेश करने या दावा करने के संबंध में एक पक्ष है।39 19.हमें यह भी दर्ज करना चाहिए कि डी. ओ. ई. ने हमारे सामने इस तर्क का आग्रह और तर्क नहीं दिया है कि नई शराब नीति को इस आधार पर दूषित किया गया है कि खुदरा दुकानों को किया जाना था और नीलाम किया गया था, हालांकि आर. डी. समिति की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 ने सुझाव दिया है कि खुदरा दुकानों को लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाना चाहिए।40 आम तौर पर, नीलामी और उच्चतम बोलीदाता को आवंटन राजस्व सृजन के लिए उचित और लाभकारी होगा, हालांकि कुछ परिस्थितियों में अन्य तरीकों से आवंटन अधिक उचित और बेहतर हो सकता है।41 हम अंदर नहीं जाएँगे

39 इन शब्दों/अभिव्यक्तियों के दायरे और दायरे की हमारे द्वारा जांच नहीं की गई है।

40 आर. डी. समिति की रिपोर्ट दिनांकित 13.10.2020 के प्रासंगिक भाग में लिखा हैः" 1.3.4….द.

लॉटरी आवेदन सभी 846 विक्रेताओं के पूल के खिलाफ होंगे और वार्डों, एन. डी. एम. सी. क्षेत्र और हवाई अड्डों में यादृच्छिक रूप से आवंटित किए जाएंगे।

अभियोजन पक्ष द्वारा कई दावे किए गए हैं।

41 इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनामकेरल आयुर्वेदिक

सहकारी समिति लिमिटेड और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 5, इस न्यायालय ने निर्णय दिया किः"17. इस न्यायालय ने लगातार कहा है कि सरकारी अनुबंध एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा दिए जाने चाहिए।निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है।हालांकि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो निविदाओं को आमंत्रित करने या सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की धारणा से विचलन की गारंटी देती हैं, लेकिन प्रस्थान नहीं होना चाहिए

अनुचित या भेदभावपूर्ण।जनहित याचिका केंद्र बनाम संघ

भारत में प्राकृतिक संसाधनों को अलग करते हुए 'प्रथम-सह-सेवा' नीति को मनमाना माना गया था।हालांकि, अदालत ने कहा कि हालांकि नीलामी आवंटन का 'पसंदीदा' तरीका है, लेकिन इसे संवैधानिक आवश्यकता नहीं माना जा सकता है।"

उक्त पहलू।न ही हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 (2) 42 और 163 (3) 43 को देखते हुए डीओई द्वारा ली जा सकती है, क्योंकि यह उस विवेक या योग्यता से संबंधित है जो प्रत्येक निर्वाचित सरकार के पास नीति तैयार करते समय होती है।44 हालाँकि, हमें यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि कोई भी नीतिगत निर्णय गलत नहीं होगा क्योंकि पीओसी अधिनियम की धारा 7 के तहत इसे गलत माना जाता है। हम बाद में पीओसी अधिनियम की धारा 7 यानी कथित तथ्यों की जांच करेंगे।हमें प्रश्नों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 163 (3) के संदर्भ में तर्क अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया की ओर से स्पष्ट रूप से नहीं उठाया गया है, हालांकि यह याचिका कि सी. बी. आई., डी. ओ. ई. और न्यायालय को नीतिगत निर्णय के चयन के पीछे गुण और विवेक की जांच नहीं करनी चाहिए, उठाई गई है।

20. दावा किया जाता है कि अपीलार्थी मनीष सिसोदिया ने किसी भी जांच को रोकने के लिए जानबूझकर दो मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे।इसके अलावा, उन्होंने अपना मोबाइल फोन 22.07.2022 पर बदल दिया था, जिस तारीख को मीडिया ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा जांच के लिए सीबीआई को भेजी गई शिकायत की खबर को कवर किया था। अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया का कहना है कि लोग बार-बार मोबाइल फोन बदलते हैं, और पुराने फोन को रखने की आवश्यकता नहीं है।मोबाइल फोन को जानबूझकर नष्ट करने का आरोप सही है या नहीं, यह सबूत दर्ज करने के बाद तय किया जाएगा, लेकिन अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया द्वारा हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत के सवाल पर निर्णय लेने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होगा।45

42 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 (2) में कहा गया हैः"…(2) सवाल है कि क्या कोई है, और

यदि हां, तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई थी, इसकी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी।"

43 भारत के संविधान का अनुच्छेद 163 (3) कहता हैः"…(3) सवाल है कि क्या कोई है, और

यदि हां, तो मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई थी, इसकी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी।"

44 यशवंत सिन्हा और ओआरएस. वी. में देखें।केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2019) 6 एस. सी. सी. 1, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, (1975) 4 एस. सी. सी. 428, डॉयपैक सिस्टम्स (पी) लिमिटेड।

v. भारत संघ, (1988) 2 एस. सी. सी. 299 और अन्य मामले।45 आई. पी. सी. की धारा 201 देखें, जिसमें लिखा हैः

"201. ऑफ एन्से के साक्ष्य के गायब होने का कारण बनना, या एंडर की जांच करने के लिए गलत जानकारी देना।—जो कोई भी, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने का कोई भी सबूत गायब कर देता है, कानूनी सजा से बचाव करने वाले की जांच करने के इरादे से, या उस इरादे से अपराध के संबंध में कोई जानकारी देता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है,

अगर एक कैपिटल ऑफ एनस।—यदि वह अपराध जिसे वह जानता है या मानता है कि किया गया है, मृत्यु से दंडनीय है, तो दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा।

21. हालाँकि, पी. एम. एल. अधिनियम के तहत की गई शिकायत में एक स्पष्ट आधार या आरोप है, जो बोधगम्य कानूनी चुनौती से मुक्त है और जैसा कि आरोप लगाया गया है, तथ्य सामग्री और साक्ष्य द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित हैं।यह चर्चा पी. ओ. सी. अधिनियम के तहत सी. बी. आई. के नेतृत्व में दायर आरोप-पत्र के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक है और आई. डी. 1 तथ्यों को फिर से प्रस्तुत करना चाहेगा जैसा कि आरोप लगाया गया है, जिसे पी. एम. एल. अधिनियम और पी. ओ. सी. अधिनियम की धारा 3 के तहत अप्रमाणित माना जाता है। ये हैंः

लगभग दस महीने की अवधि में, जिसके दौरान नई उत्पाद शुल्क नीति लागू थी, थोक वितरकों ने रु। 581,00,00,000 (केवल एक सौ इकासी करोड़ रुपये) शुल्क के रूप में।

14 थोक वितरकों से एकत्र किया गया एकमुश्त लाइसेंस शुल्क लगभग Rs.70,00,00,000 (केवल सत्तर करोड़ रुपये) था।

पुरानी नीति के तहत थोक वितरकों/लाइसेंसधारियों को 5 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जाता था।

12 प्रतिशत के बीच का अंतर; थोक लाभ मार्जिन के माइनस 5 प्रतिशत के साथ Rs.70,00,00,000-यह जमा किया जाता है, अपराध की आय का गठन करेगा, जो पीएमएल अधिनियम के तहत दंडनीय है। अपराध की आय का अधिग्रहण किया गया, उपयोग किया गया और थोक वितरकों के कब्जे में था, जिन्होंने सरकारी खजाने और उपभोक्ताओं/खरीदारों की कीमत पर अवैध रूप से लाभ उठाया है।46 प्रासंगिक

एक ऐसी अवधि के लिए विवरण जो सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और यदि आजीवन कारावास से दंडनीय है तो वह दंडनीय भी होगी।—और यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और वह दंडनीय भी होगा।

यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है।—और यदि अपराध दस वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, तो अपराध के लिए प्रदान किए गए विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, एक अवधि के लिए जो अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई हिस्से तक बढ़ सकता है, या दंड के साथ, या दोनों के साथ।

46 हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी वितरक लाइसेंसधारी पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 के तहत शामिल नहीं हो सकते हैं या उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ऊपर उद्धृत शुल्क 14 लाइसेंसधारियों से संबंधित हैं, और उन्हें अपराधी पूर्ण-बिक्री वितरक लाइसेंसधारियों द्वारा की गई बिक्री के लिए कम/कम किया जाना चाहिए, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [संजीव खन्ना, जे.] 506

505

डी. ओ. ई. दिनांक 04.05.2023 के नेतृत्व में आपराधिक शिकायत के हिस्से में लिखा हैः

“श्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिए गए कारणों में से एक कारण थोक विक्रेता को लाइसेंस शुल्क 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के लिए क्षतिपूर्ति करना है। 5 करोड़। इस नीति अवधि के दौरान, आबकारी विभाग द्वारा एल. आई. के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर 14 एल. आई. लाइसेंस दिए गए थे। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के संचालन की पूरी अवधि में सरकार ने 5 करोड़ रुपये की कमाई की है। एल. आई. के लाइसेंस शुल्क से 75.16 करोड़ (आबकारी विभाग के संचार दिनांक 11.04.2023 के अनुसार) (आर. यू. डी. 34)।दूसरी ओर इस अवधि के दौरान थोक विक्रेताओं द्वारा अर्जित अतिरिक्त लाभ रु। 338 करोड़। (5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि के कारण अर्जित 7 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ) 581 करोड़ एल. आई. का कुल लाभ है जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा सूचित किया गया है)।इसलिए लाइसेंस शुल्क वृद्धि और लाभ सीमा वृद्धि के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है।जबकि यह अतिरिक्त लाभ मार्जिन लाभ कम एमआरपी के रूप में उपभोक्ताओं को दिया जा सकता था। इस दावे के विपरीत कि यह नीति जनता या सरकारी खजाने को लाभान्वित करने के लिए थी, यह कुछ चुनिंदा निजी खिलाड़ियों/व्यक्तियों/संस्थाओं को बड़े पैमाने पर अवैध लाभ सुनिश्चित करने की साजिश थी।”

22. पी. ओ. सी. अधिनियम के तहत आरोप पत्र में सरकारी खजाने की कीमत पर किसी निजी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से लाभ पहुँचाना शामिल है।इस संबंध में पी. ओ. सी. ए. टी. की धारा 7,7 ए, 8 और 12 के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है।

23. पीओसी अधिनियम 47 की धारा 7 के खंड (ए) और (बी) लागू होते हैंः((क) कब

47 पीओसी अधिनियम की धारा 7 में कहा गया हैः

“7. लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।—कोई भी लोक सेवक जो -

(क) किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने या स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने के इरादे से, सार्वजनिक कर्तव्य का अनुचित या बेईमानी से प्रदर्शन करने या स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिए सहनशीलता या सहनशीलता पैदा करने के इरादे से; या

((ख) किसी सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित या बेईमान प्रदर्शन के लिए या स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा ऐसे कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है; या

एक लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने का इरादा रखता है या अनुचित रूप से करने में विफल रहता है या खुद या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहन करने या सहनशीलता पैदा करने का इरादा रखता है; (बी) किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है या स्वीकार करता है या किसी सार्वजनिक कर्तव्य के पुरस्कार या बेईमान प्रदर्शन के रूप में या ऐसे कर्तव्य को करने के लिए सहनशीलता, या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा।स्पष्टीकरण (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ लगाता है, "प्राप्त करता है, स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है", जिन मामलों में कोई लोक सेवक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या किसी अन्य भ्रष्ट या अवैध माध्यम से किसी अन्य लोक सेवक पर अपने व्यक्तिगत हित का उपयोग करके कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता है, स्वीकार करता है या प्राप्त करने का इरादा रखता है।यह मायने नहीं रखता कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होने के नाते सीधे या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुचित लाभ स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

24. पी. ओ. सी. अधिनियम के तहत अपराध के इस पहलू पर, सी. बी. आई. ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया की साजिश और संलिप्तता अच्छी तरह से स्थापित है।स्पष्टता के लिए, बिना कोई जोड़, घटाव या विस्तृत विश्लेषण किए, हम अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया के खिलाफ सी. बी. आई. के नेतृत्व में आरोप पत्र में जो कहा गया है, उसे दोहराना चाहेंगेः

(ग) किसी अन्य लोक सेवक को अनुचित या बेईमानी से सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए या किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ स्वीकार करने की प्रत्याशा में या उसके परिणामस्वरूप ऐसे कर्तव्य के प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रेरित करता है;

कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है और दंडनीय भी होगा।

स्पष्टीकरण 1.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, अनुचित लाभ प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्राप्त करने का प्रयास करना स्वयं ही एक अनुचित कार्य होगा, भले ही लोक सेवक द्वारा किसी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन अनुचित न हो या अनुचित न हो।चित्रण।—एक लोक सेवक, 'एस' एक व्यक्ति, 'पी' से अपने नियमित राशन कार्ड आवेदन को समय पर संसाधित करने के लिए पांच हजार रुपये की राशि देने के लिए कहता है।'एस 'इस धारा के तहत अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजन के लिए -

((i) 'प्राप्त' या 'स्वीकार' या 'प्राप्त करने के प्रयास' वाक्यांशों में ऐसे मामले शामिल होंगे जहां कोई व्यक्ति लोक सेवक होने के नाते, लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या किसी अन्य लोक सेवक पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके या किसी अन्य भ्रष्ट या अवैध माध्यम से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता है या 'स्वीकार' करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

((ख) इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होने के नाते प्रत्यक्ष रूप से या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।"

नई नीति के तहत थोक वितरकों के कमीशन/शुल्क को पुरानी नीति के तहत 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करके उन्हें सुविधा प्रदान करने और उनसे रिश्वत और रिश्वत प्राप्त करने के लिए मौजूदा उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया।तदनुसार, सरकारी खजाने या उपभोक्ता की कीमत पर थोक वितरकों के अन्यायपूर्ण संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विशेषज्ञ राय/विचारों से विचलित होकर नई नीति का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार करने की साजिश रची गई थी।अवैध आय (डी. ओ. ई. के अनुसार अपराध की आय) को आंशिक रूप से पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा और रिश्वत के रूप में वापस किया जाएगा।

विजय नायर, जो बिचौलिया, आम आदमी पार्टी के सदस्य और अपीलकर्ता मनीष सिसोदिया के सह-सहयोगी थे, ने बुची बाबू, अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और शरत रेड्डी के साथ बातचीत की थी ताकि शराब समूह की संतुष्टि और इच्छा के लिए शर्तों और शर्तों पर आबकारी नीति तैयार की जा सके।

विजय नायर और शराब समूह के सदस्यों ने अलग-अलग तारीखों पर बैठकें कीं, जिसमें 16.03.2021 भी शामिल था, और नई आबकारी नीति तैयार की थी, जिसे विजय नायर को सौंप दिया गया था।इसके बाद, कमीशन/शुल्क, जिसे पहले न्यूनतम 5 प्रतिशत पर लगाया जाता था, को बढ़ाकर थोक वितरक को देय 12 प्रतिशत कर दिया गया।

अपीलकर्ता-मनीष सिसोदिया को पता था कि दिल्ली के शराब बाजार में तीन शराब निर्माताओं की 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है।इनमें से दो विनिर्माताओं की 65 प्रतिशत शराब हिस्सेदारी थी, जबकि 14 छोटे विनिर्माताओं की 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी।नई उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार-प्रत्येक निर्माता केवल एक थोक वितरक नियुक्त कर सकता है, जिसके माध्यम से ही शराब बेची जाएगी।साथ ही, थोक वितरक कई निर्माताओं के साथ वितरण समझौते कर सकते हैं।इससे पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी और कारोबार करने वाले थोक वितरकों से रिश्वत या रिश्वत प्राप्त करने में सुविधा हुई।

थोक वितरक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क रु. 5,00,00,000/- (केवल करोड़ रुपये) की एक निश्चित राशि थी।यह कारोबार पर निर्भर नहीं था।नई नीति ने बड़े थोक वितरकों को सुविधा प्रदान की, जिनका लाइसेंस शुल्क चुकाया गया था।

इस नीति ने गुटबंदी का समर्थन किया और उसे बढ़ावा दिया।बाहरी कारणों और रिश्वत के कारण उच्च बाजार हिस्सेदारी वाले बड़े थोक वितरकों को अत्यधिक लाभ अर्जित करना सुनिश्चित किया गया था।

महादेव लिकर, जो 14 छोटे निर्माताओं के लिए एक थोक वितरक था, जिसकी 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी, को थोक वितरण लाइसेंस को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इंडो स्पिरिट, वह निकाय जिसमें शराब समूह की रुचि थी, को गुटबंदी आदि की शिकायतों के बावजूद संपूर्ण वितरक लाइसेंस दिया गया था, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था।शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया गया।

Rs.338,00,00,000-(केवल तीन सौ अड़तीस करोड़ रुपये) के थोक वितरकों द्वारा अर्जित 7 प्रतिशत कमीशन/शुल्क की अतिरिक्त राशि पी. ओ. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत एक लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित है।(डी. ओ. ई. के अनुसार, ये अपराध की आय हैं)।यह राशि थोक वितरकों द्वारा दस महीने की अवधि में अर्जित की गई थी।इस अधिकार को विवादित या चुनौती नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार, नई उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य कुछ चुनिंदा थोक वितरकों को अप्रत्याशित लाभ देना था, जो बदले में रिश्वत और रिश्वत देने के लिए सहमत हो गए थे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैट और उत्पाद शुल्क अलग से देय थे।हालांकि, नई नीति के तहत वैट को घटाकर केवल 1 प्रतिशत कर दिया गया था।

विजय नायर ने शराब समूह को आश्वासन दिया था कि उन्हें बाजार के सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक पेरनोड रिकार्ड का वितरक बनाया जाएगा।ऐसा हुआ भी।

मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [संजीव खन्ना, जे.] 510

509

25. उपरोक्त चर्चा और बताए गए कारणों को देखते हुए, हम इस स्तर पर जमानत देने की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

26. हालाँकि, हम अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया द्वारा दी गई लंबे समय तक की कैद के बारे में भी चिंतित हैं।पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 48 में, अपीलार्थी को संविधान पर भरोसा करते हुए लगभग 49 दिनों तक हिरासत में रखे जाने के बाद जमानत दे दी गई थी।

श्री गुरबख्श सिंह सिबिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य 50 और संजय चंद्र बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 51 की पीठ ने कहा कि भले ही

आरोप गंभीर आर्थिक अपराधों में से एक है, यह कोई नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए।अंततः, तथ्यों के आधार पर मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।प्राथमिक उद्देश्य मुकदमे का सामना करने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि इसमें अपीलकर्ता को बहुत अधिक जोखिम था या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को भड़काने की संभावना थी।पुनः सतेंदर में

कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य 52, इस न्यायालय ने सुरिंदर सिंह उर्फ शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य 53 का उल्लेख किया।

और कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य 54, इस बात पर जोर देने के लिए कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे में एक मौलिक अधिकार है।

संविधान।विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने

मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की बुराई और समाज और नागरिकों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को उजागर करते हुए कहा गया कि गिरफ्तारी जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।इस न्यायालय ने निष्पक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए पीएमएल अधिनियम की धारा 19 का उल्लेख किया।55 विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) ने यह भी माना कि संहिता 56 की धारा 436 ए गैर-कानूनी संस्थाओं पर लागू हो सकती है।

48 (2020) 13 एससीसी 791।

49 पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2020) 13 एस. सी. सी. 337 में,

अपीलार्थी को लगभग 62 दिनों तक हिरासत में रखे जाने के बाद जमानत दे दी गई थी।50 (1980) 2 एससीसी 565।

51 (2012) 1 एससीसी 40.

52 (2022) 10 एससीसी 51।

53 (2005) 7 एससीसी 387।

54 (1977) 4 एससीसी 291।

55 पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1244 भी देखें। संहिता के 56 436 ए में लिखा हैः

" 436-A. अधिकतम अवधि जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है।—

पी. एम. एल. अधिनियम के तहत, क्योंकि यह त्वरित सुनवाई के अधिकार को लागू करता है, जीवन के अधिकार का एक पहलू, एक वैध आधार को छोड़कर, जहां स्वयं अभियुक्त के कहने पर मुकदमे में देरी होती है।हमारी राय में, धारा 436 ए को एक जनादेश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि एक आरोपी को पीएमएल अधिनियम के तहत तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह निर्दिष्ट अवधि के लिए पर्याप्त कारावास प्राप्त नहीं कर लेता।

यह न्यायालय, अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और

अन्य 57 ने कहा कि एक ओर आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करते हुए, अदालत को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि मानव युगों में स्वतंत्रता उतनी ही दृढ़ है जितनी दृढ़ हो सकती है।

27. अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया ने तर्क दिया है कि गवाहों की संख्या, सी. बी. आई. के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. बी. आई. में सी. आई. में सी. आई. में सी. आई. में सी. आई. में सी. आईनिचली अदालत ने अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आरोपी के आवेदन को मंजूरी दे दी है, जिसे अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 482 के तहत चुनौती दी है।अभियोजन पक्ष की ओर से बार में कहा गया था कि धारा 482 के तहत उक्त याचिका को वापस ले लिया जाएगा।अभियोजन पक्ष द्वारा बार में यह भी कहा गया था कि मुकदमा अगले छह से आठ महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगा।

जहां किसी व्यक्ति ने किसी कानून के तहत इस संहिता के तहत जांच, जांच या मुकदमे की अवधि के दौरान (जो एक अपराध नहीं है जिसके लिए मौत की सजा को उस कानून के तहत दंडों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत के साथ या उसके बिना उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाएगाः

बशर्ते कि न्यायालय, लोक अभियोजक को सुनने के बाद और उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे व्यक्ति को उक्त अवधि के आधे से अधिक समय तक निरंतर हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है या उसे जमानत के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत बंधन के बजाय जमानत पर रिहा कर सकता हैः

बशर्ते कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में जांच, जांच या मुकदमे की अवधि के दौरान उस कानून के तहत उक्त अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण।—जमानत देने के लिए इस धारा के तहत निरोध की अवधि की गणना करने में, अभियुक्त द्वारा की गई कार्यवाही में देरी के कारण पारित निरोध की अवधि को बाहर रखा जाएगा।"

57 (2021) 2 एससीसी 427।

28. दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत या जेल बिना मुकदमे के सजा नहीं बननी चाहिए।यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा हो जाता है, और यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला निकट समय के भीतर नहीं किया जाएगा, तो जमानत के लिए अनुरोध सराहनीय हो सकता है।यद्यपि अभियोजन पक्ष आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है, फिर भी इन मामलों की तुलना नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, सामूहिक हिंसा आदि के तहत मौत, आजीवन कारावास, दस साल या उससे अधिक के समान दंड के साथ करना उचित नहीं हो सकता है। न ही यह ऐसा मामला है जिसमें जमाकर्ताओं के 100/1000 को धोखा दिया गया है।आरोपों को स्थापित और साबित करना होगा।देरी के मामलों में जमानत के अधिकार, लंबे समय तक कारावास के साथ, आरोपों की प्रकृति के आधार पर, संहिता की धारा 439 और पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि संवैधानिक अधिदेश उच्च कानून है, और यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है और दोषी नहीं ठहराया गया है, कि उसे सुनिश्चित किया जाए और

त्वरित सुनवाई दी जाए।जब मुकदमा उन कारणों से आगे नहीं बढ़ रहा है जिनके लिए अभियुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, तो अदालत को, जब तक कि अच्छे कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।यह सच होगा जहां मुकदमे में कई साल लगेंगे।

29. अभियोजन पक्ष की ओर से बार में दिए गए इस आश्वासन को देखते हुए कि वे अगले छह से आठ महीने के भीतर उचित कदम उठाकर मुकदमे को समाप्त कर देंगे, हम अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया को परिस्थितियों में बदलाव के मामले में या मुकदमे के लंबे होने और अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ने के मामले में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हैं।यदि जमानत के लिए कोई आवेदन उपरोक्त परिस्थितियों में किया जाता है, तो वर्तमान निर्णय सहित पूर्व जमानत आवेदन को खारिज किए बिना गुण-दोष के आधार पर निचली अदालत द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।ऊपर किए गए अवलोकन, पुनः।:हालांकि, त्वरित सुनवाई के अधिकार पर विचार किया जाएगा।अपीलार्थी-मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी की बीमारी के कारण खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा आपातकाल के मामले में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।इस तरह के आवेदन की अपने गुण-दोष के आधार पर भी जांच की जाएगी।

30. उपरोक्त को दर्ज करते हुए, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियाँ, किसी भी तरह से, केवल हैं

वर्तमान अपीलों के निपटारे के लिए, और ये मामले के गुण-दोष पर निचली अदालत को प्रभावित नहीं करेंगे, जो कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा, और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।सभी विवादित तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों को खुला छोड़ दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान